



कार्यालय उन्नायक सेवा समिति

Plot No. - 960/22, Kelo Vihar Colony, Raigarh (C.G.)

Email – ussrgh@gmail.com



वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21

04.04.2004 को स्थापित एवं 01.07.2005 को (छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1974 के अधीन पंजीकृत है, जिसका पंजीयन क्रमांक-3235) पंजीकृत हमारे उपरोक्तानुसार समिति वर्तमान में संचालनालय समाज कल्याण, संचालनालय महिला एवं बाल विभाग से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त, शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है तथा नेशनल ट्रस्ट, नीति आयोग, 12A and 80G of IT Act, FCRA और किशोर न्याय अधिनियम से पंजीकृत है।

समिति द्वारा दिव्यांग, परित्यक्त, अभ्यर्पित तथा समस्त प्रकार के सुरक्षा एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के संस्थागत तथा गैर संस्थागत पुनर्वास हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत कार्य किए जाते हैं। उक्त कार्य हेतु समिति द्वारा 09 संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है जिनका का विवरण निम्नानुसार है—

❖ **उम्मीद रायगढ़** :—समिति द्वारा उम्मीद रायगढ़ नाम से दिव्यांग (मंदबुद्धि, मुकबधिर, सीपी आदि) बालकों के पुनर्वास हेतु विशेष विद्यालय का संचालन किया जाता है। जिसमें 50 बालकों के लिए छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध है। उक्त विद्यालय में बालकों को जरूरत अनुसार स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, व्यवहारिक शिक्षा एवं दैनंदिनी शिक्षा के साथ छ.ग. बोर्ड के अनुरूप पाठ्यक्रम में शामिल किये जाते हैं। उक्त विद्यालय में विभिन्न जिलों के बालकों को यह सुविधाएँ निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। उक्त संस्था समाज कल्याण विभाग, संचालनालय छ.ग. से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त एवं शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है। उक्त संस्था में वर्तमान पर्यन्त 72 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।



❖ **नई उम्मीद :-** 15.06.2013 को नई उम्मीद नाम से कौहाकुण्डा रायगढ़ में प्रारंभ की गई यह बालगृह महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत समन्वित बाल संरक्षण योजना (आई. सी. पी.एस.) के प्रायोजकता से संचालित है, जो कि किशोर न्याय अधिनियम द्वारा पंजीकृत है। उक्त संस्था में संरक्षण एवं सुरक्षा के जरूरतमंद विषेय आवश्यकता वाले (मंदबुद्धि, मुकबधिर, सीपी आदि) बालकों को उनके पुनर्वास हेतु सुविधाएँ मुहैया कराया जाता है। बालकों को जरूरत अनुसार स्पीचथेरेपी, फिजियोथेरेपी, व्यवहारिक शिक्षा एवं दैनंदिनी शिक्षा के साथ छ.ग. बोर्ड के अनुरूप पाठ्यक्रम में शामिल किये जाते हैं। उक्त बालगृह में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के बालकों को यह सुविधाएँ प्राप्त हो रहा है। इस संस्था में अपने परिवार से बिछड़े हुए (जो अपना नाम व पता नहीं बता पाते हैं) बालकों को उनके परिवार में पुनर्वासित करने हेतु प्रयास किए जाते हैं। समस्त हितग्राहियों को स्वास्थ्य संबंधित उचित देखभाल, चिकित्सा, मनोरंजन, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि व्यवस्था उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में संस्था में 54 बालक लाभान्वित हो रहे हैं। उक्त संस्था में वर्तमान पर्यन्त कुल 132 दिव्यांग बच्चों विभिन्न प्रकार के पुनर्वासीय व्यवस्था के साथ लाभान्वित हुए हैं। इनमे से इस वर्ष 2 बालको जो की नशा शक्त थे उन्हें नशा मुक्त कराया गया है। जो की संस्था में आने से पहले सॉल्युशन के आदि थे उन्हें नशा मुक्त कराया जा कर हमारे संस्था द्वारा संचालित विशेष विद्यालय में दाखिला कराया गया है जहां पर वे छात्रावासी सुविधा के साथ निवासरत है।

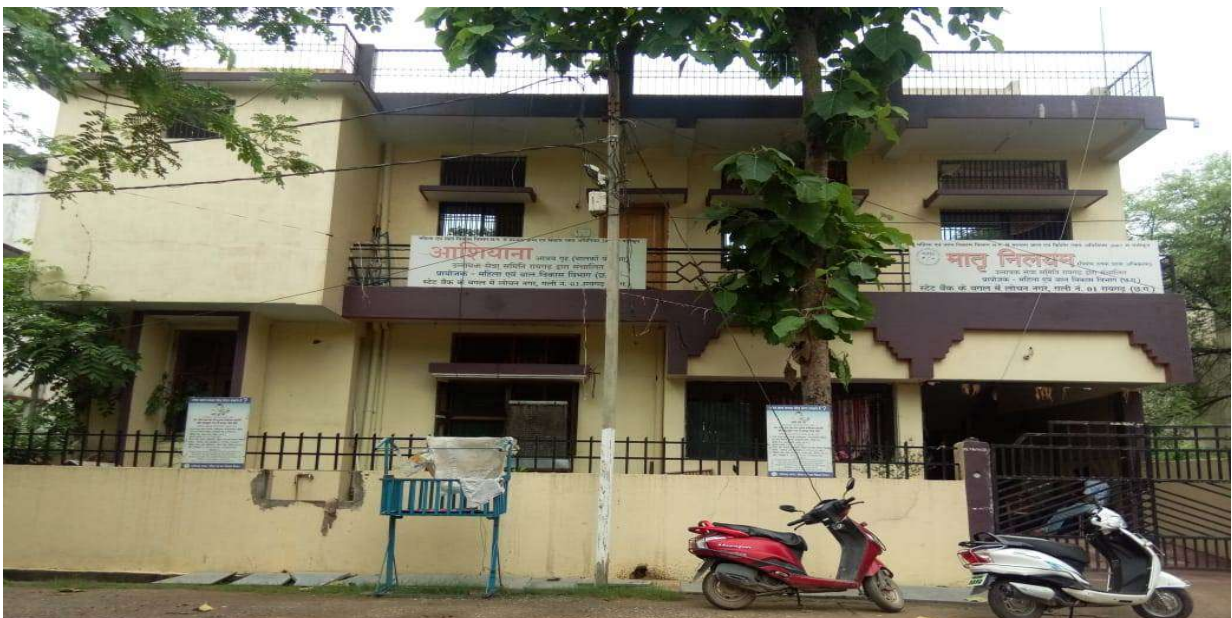


❖ **मातृनिलयम :-** 01.07.2013 को मातृनिलयम नाम से स्टेट बैंक के बगल में लोचन नगर गली नं 01, रायगढ़ छ.ग. में संचालित किया जा रहा है। यह संस्था 0 से 6 वर्ष तक के (पालकविहीन, एकल पालक, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित आदि) शिशुओं का विशेष दत्तक ग्रहण एजेन्सी एवं शिशुगृह है। यहां बाल कल्याण समिति द्वारा सौंपे गये सुरक्षा एवं संरक्षण के जरूरतमंद उपरोक्तानुसार शिशुओं के लिए उचित संरक्षण एवं पुनर्वास (गैर संस्थागत) का व्यवस्था किया जाता है। यहां निवासरत शिशुओं को संस्था में नियमानुसार उचित संरक्षण एवं देखभाल करने के साथ-साथ उनको दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के तहत परिवार मुहैया कराया जाता है। उक्त संस्था द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु इच्छा प्रकट करने वाले पालकों को शिशु उपलब्ध कराया जाता है। इस संस्था में निवासरत शिशुओं को सुरक्षा, संरक्षण, चिकित्सा, शिक्षा, फिजियोथेरेपी आदि सेवा प्रदाय किया जाता हैं

उक्त संस्था द्वारा वर्तमान पर्यन्त कुल 83 शिशुओं को देशीय एवं अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के तहत पालक देखरेख हेतु पालकों को सौंपा गया है तथा 02 शिशुओं का अंतर्देशीय दत्तकग्रहण प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में संस्था में 14 शिशु निवासरत हैं। उक्त संस्था निम्न भवन के निचला तल में संचालित है।



❖ **आशियाना :-** 14.09.2013 को आशियाना नाम से खुला आश्रयगृह स्टेट बैंक के बगल में लोचन नगर गली नं 01, रायगढ़ छ.ग. में संचालित किया जा रहा है। उक्त संस्था किषोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं आई. सी. पी. एस. के प्रायोजकता से सुरक्षा एवं संरक्षण के जरूरतमंद घुमन्तु, नषाषक्त, बालश्रमिक, मानव तस्करी से पीड़ित, गुमपुदा, आपदा पीड़ित, भागे हुए एवं किसी भी प्रकार के शोषण के शिकार आदि 06 वर्ष से 18 वर्ष तक के बालकों को अल्प समयावधि के लिए आश्रय उपलब्ध कराने के साथ उनका उचित देखभाल, संरक्षण एवं चिकित्सा आदि सुविधा मुहैया करवाया जाता है। वर्तमान संस्था में कुल 06 बच्चे निवासरत है। यह संस्था निम्न भवन के प्रथम तल पर संचालित है। उक्त संस्था में वर्तमान पर्यन्त कुल 618 बालकों को विभिन्न प्रकार से लाभान्वित किया गया है। जिनमें से इस वर्ष दाखिला प्राप्त 18 बालको में से 5 बालको को नशा मुक्त कराया गया है। जो कि संस्था मे आने से पहले सॉल्युशन,गांजा,तम्बाकु एवं मद्यपान आदि नशे के आदि थे। इन बालकों को इस संस्था मे नशा मुक्त कराया जा कर इनमें से जो बिना पालक वाले बच्चें एवं एकल पालक वाले बालक थे इन्हें हमारे संस्था द्वारा संचालित बालगृह में स्थानांतरण कर उनका सम्पूर्ण विकास हेतु उन्हें स्कूल मे दाखिला कराया गया है, एवं कुछ बालको को व्यावसायीक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।



❖ **निलाचल** :- 01.09.2015 को निलाचल नाम से पहाड़ मंदिर के पीछे, लोइंग रोड़, उरांव पारा, पंडरीपानी, रायगढ़ में 50 बालकों का बालगृह प्रारंभ किया गया है, उक्त संस्था किषोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं आई. सी. पी. एस. के प्रायोजकता से सुरक्षा एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों निवासरत है। उक्त संस्था के सभी बालक अपनी उम्र अनुरूप शिक्षा ग्रहण करने हेतु स्कूल जा रहें है। संस्था में निवासरत बालको को विभिन्न प्रकार के लाभ मुहैया कराया जा रहा है। वर्तमान संस्था में 56 बालक निवासरत है। उक्त संस्था किषोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत है। उक्त संस्था में वर्तमान पर्यन्त कुल 207 बालकों को विभिन्न प्रकार से लाभान्वित किया गया है।



❖ **श्री चक्रधर बालिका गृह**:- 03.10.2018 को श्री चक्रधर बालिका गृह नाम से हण्डी चौक दुर्गा मंदिर, रायगढ़ में 75 बालिकाओं का बालगृह प्रारंभ किया गया है, उक्त संस्था किषोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं आई. सी. पी. एस. के प्रायोजकता से सुरक्षा एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालिकायें निवासरत है। उक्त संस्था के सभी बालिका अपनी उम्र अनुरूप शिक्षा ग्रहण करने हेतु स्कूल जा रहें है। संस्था में निवासरत बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के लाभ मुहैया कराया जा रहा है। वर्तमान संस्था में 81 बालिका निवासरत है। उक्त संस्था किषोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत है।



❖ **एडल्स उम्मीद (घरौन्दा):**— हमारी समिति द्वारा डी 28 एवं डी 29, सूर्या विहार कॉलोनी, रायगढ़ छ.ग. में वयस्क दिव्यांगजनों के लिए समाज कल्याण विभाग के अधीन घरौन्दा (वयस्कों के लिए सामूहिक गृह) योजना का संचालन किया जा रहा है। निवासरत हितग्राहियों को आजीवन निवास हेतु व्यवस्था के साथ उन्हें फिजियोथेरेपी, योगा, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय देखभाल के साथ साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उक्त केन्द्र में कुल 25 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।



❖ **नशा मुक्ति कार्यक्रम:**—वर्ष 2019-20 में समिति के द्वारा नषामुक्त समाज गठन के प्रयास में कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें तम्बाकु निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर रैली का आयोजन किया गया था जिसमें समाज के लोग भी भाग लिये थे। इसमें कुछ नारों के जरिये तम्बाकु सेवन से शरीर को हो रहे हानि के बारे में लोगो को समझाने का प्रयास किया गया था तथा तम्बाकु निषेध हेतु जागरूक कराया गया था।



नशामुक्ति दिवस 26 जून :- अन्तर्राष्ट्रीय नषा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 26 जून 2020 को रायगढ़ शहर के मध्य स्थल में स्थित अनाथालय में आसपास के लोगों को लेकर नशामुक्ति कार्यक्रम का आयोजन संस्था द्वारा किया गया था जिसमें नषा से मानव समाज को हो रहे हानिक के बारे में वक्ताओं द्वारा विस्तार रूप में बताया गया।



हमारे समिति द्वारा संचालित खुला आश्रय गृह एवं नई उम्मीद संस्था के द्वारा 102 बालकों को वर्ष 2013 से लेकर आज पर्यन्त नशा मुक्त कराया गया है। जिनमें से पालक विहिन एवं एकल पालक वाले बालकों को हमारे समिति द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं में दाखिला दिया जा कर आवासीय सुविधा के साथ विद्यालयीन शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कुछ बालको को रोजगार प्रदाय किया गया है।

- ❖ **समर्थ कम घरौंदा :-** हमारी समिति द्वारा डी 27, सूर्या विहार कॉलोनी, रायगढ़ (छ.ग.) में बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगों के लिए नेशनल ट्रस्ट नई दिल्ली के प्रयोजन से समर्थ कम घरौंदा कार्यक्रम, **उम्मीद की किरण** नाम से संचालन किया जा रहा है। उक्त संस्था में अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित एवं गरीब तथा आश्रय विहिन परिवार के 6 वर्ष से अधिक उम्र के हितग्राहियों को आजीवन निवास के साथ आवश्यक देखभाल, विशेष शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उक्त केन्द्र में वर्तमान कुल 17 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।



❖ **उम्मीद बरमकेला** :—समिति द्वारा उम्मीद बरमकेला नाम से माझापारा, जगन्नाथ मंदिर के पास बरमकेला, जिला रायगढ़ छ.ग. में दिव्यांग (मंदबुद्धि, मुकबधिर, सीपी आदि) बालकों के पुनर्वास हेतु विशेष विद्यालय का संचालन किया जाता है। जिसमें 35 बालकों के लिए छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध है। उक्त विद्यालय में बालकों को जरूरत अनुसार फिजियोथेरेपी, व्यवहारिक शिक्षा एवं दैनंदिनी शिक्षा प्रदाय किया जाता है। उक्त विद्यालय में विभिन्न जिलों के बालकों को यह सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। उक्त संस्था समाज कल्याण विभाग, संचालनालय छ.ग. से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त है। उक्त संस्था में वर्तमान 35 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।



श्री बालाजी विशेष विद्यालय नगरी धमतरी :—समिति द्वारा श्री बालाजी विशेष विद्यालय के नाम से नगरी, जिला धमतरी छ.ग. में दिव्यांग (मंदबुद्धि, मुकबधिर, सीपी आदि) बालकों के पुनर्वास हेतु विशेष विद्यालय का संचालन किया जाता है। जिसमें 26 दिव्यांगों के लिए छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध है। उक्त विद्यालय में बालकों को जरूरत अनुसार व्यवहारिक शिक्षा एवं दैनंदिनी शिक्षा प्रदाय किया जाता है। उक्त विद्यालय में विभिन्न जिलों के बालकों को यह सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। उक्त संस्था में वर्तमान 26 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।



सचिव
उन्नायक सेवा समिति
रायगढ़ (छ.ग.)